

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक

(सुखराम खोखर, आर०ए०एस० द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या
प्रविष्टि दिनांक

04 / 2018
22.02.2018

बजरंगा पुत्र रामचन्द्र जाति बैरवा निवासी श्रीनगर तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक राज०
.....प्रार्थी

बनाम

1. प्रहलाद पुत्र श्योदान जाति जाट निवासी घारेडा तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक
2. भू-आवंटन सलाहकार समिति जरिये उपखण्ड अधिकारी टोडारायसिंह

..... अप्रार्थीगण

आवेदन अन्तर्गत नियम 14(4) भू-आवंटन नियम 1970

उपस्थिति : (1) श्री मनीष कासलीवाल अभिभाषक प्रार्थी
(2) श्री शिवराज चांगल अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1

निर्णय

दिनांक 29.11.2019

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि भू आवण्टन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 20.11.2010 को प्रतिपक्षी संख्या-1 को आ०ख०नं० 931/1956 रकबा 0.50 है० व आ०ख०नं० 1062/1905/1 रकबा 0.50 है० कुल किता-2 रकबा 1.00 है० भूमि वाके ग्राम घारेडा तहसील टोडारायसिंह में आवंटन किया गया है। प्रार्थी ने उक्त आवंटन को विधि विरुद्ध एवं नियमों के प्रतिकूल बताते हुए आवंटन आदेश को निरस्त किये जाने हेतु यह प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तलबी जरिये नोटिस अप्रार्थीगण की गई। आवंटन सम्बन्धी पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने जवाब पेश किया कि भू-आवंटन सलाहकार समिति द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान 2010 में दिनांक 20.11.2010 को केम्प ग्राम पंचायत कूकड में आ०ख०नं० 931/1956 रकबा 0.50 है० व आ०ख०नं० 1062/1905/1 रकबा 0.50 है० कुल किता-2 रकबा 1.00 है० भूमि वाके ग्राम घारेडा तहसील टोडारायसिंह में आवंटन किया गया है। आवंटन सलाहकार समिति द्वारा अप्रार्थी को नियमानुसार आवंटन किया गया है। प्रार्थी का आवंटन भूमि के पास कोई कुंआ स्थित नहीं है और ना ही खातेदारी की भूमि है तथा आने-जाने का रास्ता भी नहीं है। प्रार्थी की खोतदारी की भूमि आवंटन भूमि से 1 कि.मी. दूर स्थित है। आवंटन भूमि पर आवंटन से पूर्व से ही अप्रार्थी का कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी का

आवांरक्त जिला कलेक्टर
टोंक




कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है। आवंटन सलाहाकार समिति द्वारा मौके पर खुल्लम खुल्ला उद्घोषणा जारी कर समस्त कार्यवाही सम्पादित कर नियमानुसार आवंटन किया है। आवंटन के समय अप्रार्थी के पास 0.98 है० भूमि थी जो नियमानुसार सही है। अप्रार्थी आवंटन की पात्रता रखता था। आवंटन होने के पश्चात दिनांक 21.12.2010 को हल्का पटवारी, गिरदावर व अन्य की उपस्थिति में उक्त भूमि अप्रार्थी को सुपुर्दगी में दी गई है।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने कथन किया है कि भू-आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 20.11.2010 को बिना उद्घोषणा जारी किये मौका रिपोर्ट लिये बिना प्रहलाद पुत्र श्योदान जाति जाट को आ०ख०नं० 931/1956 रकबा 0.50 है० व आ०ख०नं० 1062/1905/1 रकबा 0.50 है० कुल किता-2 रकबा 1.00 है० भूमि का आवंटन किया गया है। आवंटनी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं की गई है। आवंटनी का आवंटन भूमि पर कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है। विपक्षी सद्भावी कृषक नहीं है उक्त भूमि प्रार्थी के खेतों के समीप है एवं पास में ही कुंआ है। आवंटित भूमि पर आवेदक का कब्जा है, उक्त भूमि में से होकर आवेदक अपने कुंए एवं खातेदारी की भूमि पर आता-जाता है। आवंटन क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर किया गया है, प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत वर्ष 2010 में टोंक जिले में भूमि आवंटन किये जाने का निर्धारित कार्यक्रम नहीं था। आवंटन नियमों को नजर अंदाज कर किया गया है। अप्रार्थी संख्या-1 द्वारा अपने आवेदन पत्र में खातेदारी की भूमि का अंकन नहीं किया है, उक्त आवंटन फ़ॉड एवं मिसरिप्रजेन्टेशन से किया गया है। अतः आवंटन निरस्त योग्य है।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने बहस में कथन किया कि भू-आवंटन सलाहकार समिति द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान 2010 में दिनांक 20.11.2010 को केम्प ग्राम पंचायत कूकड में अप्रार्थी प्रहलाद को आ०ख०नं० 931/1956 रकबा 0.50 है० व आ०ख०नं० 1062/1905/1 रकबा 0.50 है० कुल किता-2 रकबा 1.00 है० भूमि वाके ग्राम घारेडा तहसील टोडारायसिंह में नियमानुसार आवंटन की गई है। आवंटित भूमि अप्रार्थी की गैर खातेदारी में दर्ज है। आवंटनी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना की गई है। आवंटित भूमि पर अप्रार्थी का कब्जा काश्त चला आ रहा है। अप्रार्थी भूमिहीन कृषक है तथा आवंटन शर्तों की पूर्ण पालना की है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

हमने उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं आवंटन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। आवंटन पत्रावली का अवलोकन करने से विदित होता है कि अप्रार्थी प्रहलाद पुत्र श्योदान जाति जाट निवासी घारेडा को भू-आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 20.11.2010 को प्रशासन गांवों के संग अभियान 2010 केम्प ग्राम पंचायत कूकड में आ०ख०नं० 931/1956 रकबा 0.50 है० व आ०ख०नं० 1062/1905/1 रकबा 0.50 है० कुल किता-2 रकबा 1.00 है० भूमि वाके ग्राम घारेडा में आवंटन किया गया है। अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत खसरा गिरदावरी सम्वंत 2063-2074 में ज्वार, तिल, तारामीरा व गेहूं आदि की फसल काश्त करना दर्ज है। नकल जमाबंदी सम्वंत 2071 से 2074 वाके ग्राम घारेडा में अप्रार्थी की गैर खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थी का कथन है कि आवंटनी द्वारा


अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक -



आवंटन शर्तों की पालना नहीं की गई है। आवंटी का आवंटन भूमि पर कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है। अप्रार्थी सद्भावी कृषक नहीं है उक्त भूमि प्रार्थी के खेतों के समीप है एवं पास में ही कुंआ है। आवंटित भूमि पर आवेदक का कब्जा है, उक्त भूमि में से होकर आवेदक अपने कुएं एवं खातेदारी की भूमि पर आता-जाता है, परन्तु इसकी तायद में कोई दस्तावेजात प्रस्तुत नहीं किया गया है। वर्तमान में आवंटित भूमि अप्रार्थी की गैर खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थी ने ऐसा कोई साक्ष्य-सबूत प्रस्तुत नहीं किया है जिसके आधार पर आवंटन निरस्त किया जा सके। आवंटन सलाहाकार समिति द्वारा अप्रार्थी प्रहलाद के हक में आवंटन नियमानुसार किया गया है जिसे निरस्त किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

फलतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थी अस्वीकार किया जाकर प्रहलाद पुत्र श्योदान जाति जाट निवासी घारेडा तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक को दिनांक 20.11.2010 को ग्राम घारेडा की आ0ख0नं0 931/1956 रकबा 0.50 है0 व आ0ख0नं0 1062/1905/1 रकबा 0.50 है0 कुल कित्ता-2 रकबा 1.00 है0 भूमि का किया गया आवंटन यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 29.11.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



Red
(सुखराम खोखर)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक
— टोंक —

